16. उच्च न्यायालय और अधिनस्थ न्यायालय

भारत की एकल न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन लेकिन अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर होता है। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन 1862 में तब हुआ जब कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। इस समय भारत में 21 उच्च न्यायालय है। केंद्रशासित राज्यों में केवल दिल्ली ऐसा राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय (1966 से) है। संसद किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्र का विस्तार किसी केंद्रशासित राज्य या अन्य क्षेत्र में भी कर सकती है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश जिन्हें जरूरत के अनुसार समय-समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, होते हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्तिः उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद करता है। अन्य न्यायधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायधीश से भी परामर्श लिया जाता है।

न्यायाधीशों की योग्यताएं

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यक्ति के पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिएं-

- वह उच्च न्यायालय (या न्यायालयों) में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।
- उसे भारत के न्यायायिक कार्य में दस वर्ष का अनुभव हो।
- उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।

शपथ

जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, पद संभालने के पूर्व उसे उस राज्य के राज्यपाल या इस कार्य के लिए राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ/वचन लेनी होती है। अपनी शपथ में उच्च न्यायालय का जज वचन देता है-

- भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा।
- संविधान और कानून का पालन करूंगा।
- बिना किसी डर, भय, राग-द्वेष के निष्पक्ष होकर अपने सर्वोत्तम विवेक का इस्तेमाल कर न्याय करूंगा।
- भारत के संविधान के प्रति सत्य और निष्ठा रखूंगा।

न्यायाधीशों का कार्यकाल

- उसे दो स्थितियों में पद छोड़ना पड़ सकता है-पहला, उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में हो गई हो या फिर उसका किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया गया हो।
- 62 वर्ष की आयु तक कार्यभार संभाल सकता है। यदि उसकी उम्र को लेकर सवाल उठते हैं तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श कर निर्णय लेता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है।
- न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकता है।
- संसद की संस्तुति के बाद राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है।

संसद में प्रस्ताव लाने के बाद राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश जारी कर सकता है। प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ प्रत्येक सदन का समर्थन (इस प्रस्ताव को प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों का समर्थन या सदन में मौजूद सदस्यों के दो तिहाई का समर्थन) मिलना आवश्यक है। हटाने के दो आधार साबित होने चाहिएं, पहला दुर्व्यवहार और दूसरा अक्षमता।

वेतन एवं भत्ते

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, भत्ते, सुविधाएं, अवकाश और पेंशन को समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। उनकी नियुक्ति के बाद उनमें कोई कमी नहीं की जा सकती।

न्यायाधीशों का स्थानांतरण

भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश की नियुक्ति एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। स्थानांतरण पर उसे अतिरिक्त वेतन, भत्ते जिन्हें संसद द्वारा तय किया जाता है, मिलता है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है।

- यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या
- यदि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, या

- यदि मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य निर्वहन में असमर्थ हो।

अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश

राष्ट्रपति योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। यह नियुक्ति अस्थायी रूप से और दो वर्ष से अधिक की नहीं होती।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय रहे एक राज्य के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अल्पकाल के लिए बतौर कार्यकारी न्यायाधीश काम करने के लिए कह सकते हैं। ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति एवं संबंधित व्यक्ति की मंजूरी के बाद ही संभव है।

उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां

उच्चतम न्यायालय की तरह ही उच्च न्यायालय की भी विस्तारित एवं प्रभावी शक्तियां होती हैं। यह राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होता है। इसके पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। इसके अलग इसकी भूमिका पर्यवेक्षक एवं सलाहकारी की तरह होती है।

वर्तमान में उच्च न्यायालयों को निम्नलिखित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं-

- न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति।
- अपीलीय क्षेत्राधिकार,
- पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार,
- अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण,
- अभिलेखों का न्यायालय,
- प्रारंभिक क्षेत्राधिकार,
- न्यायादेश, मैरिट क्षेत्राधिकार,

प्रारंभिक क्षेत्राधिकार

इसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय की शक्ति है कि प्रथम मामले में विवादों की सुनवाई हो, सीधे अपील करके नहीं यह निम्नलिखित मामलों में विस्तारित है-

- राजस्व मामले या राजस्व एकत्र में निर्देश।
- संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन में कोई विवाद।
- अधिकारिता का मामला, वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून एवं न्यायालय की अवहेलना।

रिट क्षेत्राधिकार

संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को न्यायादेश (रिट) की शक्ति प्रदान करता है। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226 के तहत) उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32 के तहत) के समान है। इसका तात्पर्य है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकार का हनन होता है तो पीड़ित व्यक्ति का अधिकार है कि वह या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय सीधे जा सकता है।

अपीलीय क्षेत्राधिकार

उच्च न्यायालय प्राथमिक अपीलीय न्यायालय है। अपने राज्य क्षेत्र के तहत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध यहां सुनवाई होती है। यहां दोनों तरह के सामान्य नागरिक अधिकार एवं आपराधिक मामलों के बारे में अपील होता है।

दीवानी मामले

इस संबंध में उच्च न्यायालय का न्यायादेश निम्नवत है-

- प्रशासनिक निर्णयों से एवं अन्य tribunals से अपील को उच्च न्यायालय की खंडीय बेंच के सामने रखा जा सकता है।
- जिला न्यायालयों एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के खिलाफ दूसरी अपील जिसमें कानून का प्रश्न हो (तथ्यों का नहीं)।
- सर्वप्रथम अपील जिला न्यायालयों, अतिरिक्त जिला न्यायालयों एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है।

आपराधिक मामले

उच्च न्यायालय का आपराधिक मामलों में न्यायायिक अपीलीय क्षेत्र निम्नलिखित है-

- कुछ मामलों में आपराधिक कार्यवाही कोड (1973) के लिए विशेष प्रावधान है। सहायक सत्र न्यायाधीश, नगर दंडाधिकारी या अन्य दंडाधिकारी (न्यायिक) की अपील उच्च न्यायालय मे की जा सकती है।
- सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में तब अपील की जा सकती है जब किसी को सात साल से अधिक सजा हुई हो।

पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार

उच्च न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वह अपने न्यायिक क्षेत्र के सभी न्यायालयों व सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों की देखरेख करे (सैन्य न्यायालयों को छोड़कर)।

इस तरह वह–

- उनके द्वारा रखे जाने वाले लेखा, सूची आदि के लिए कार्य की उपलब्धता कराता है।
- उन्हें वहां से बुला सकता है।
- उनकी कार्यवाही के संबंध के मुद्दे, सामान्य नियम, नियंत्रण आदि बनाता है।

अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण

अपीलीय न्यायिक क्षेत्र एवं पर्यवेक्षणीय अधीनस्थ न्यायालयों जिनका ऊपर जिक्र किया गया है, के ऊपर एक उच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियंत्रण और अन्य शक्तियां रहती है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं–

- यह अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी मामले को वापस ले सकता है।
- यह राज्य की न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीशों के अलावा), सदस्यों के अनुशासन, स्थानांतरण, अवकाश स्वीकृति, पदोन्नति आदि मामलों को भी देखता है।
- इसके कानून को उन सभी अधीनस्थ न्यायालयों को मानने की बाध्यता होती है, जो उसके न्यायिक क्षेत्र में आते हैं।
- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण एवं व्यक्ति विशेष की राज्य न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीशों के अलावा), में राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है।

अभिलेख का न्यायालय

अभिलेख के न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के पास दो शक्तियां हैं–

- इसे न्यायालय की अवहेलना पर दंड देने का अधिकार हैं। चाहे वह साधारण कारावास हो या आर्थिक दंड या दोनों।
- फैसले, कार्यवाही और उच्च न्यायालय के कार्य अभिलेखीय याददाश्त एवं प्रमाण के लिए रखे जाते हैं।

न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति

उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति यह देखने में निहित है कि राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार के कम्री संवैधानिक रूप से कार्य कर रहे हैं। यद्यपि न्यायिक पुनर्विलोकन की संविधान में व्याख्या नहीं की गयी है। अनुच्छेद 13 और 226 में उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा के प्रावधान को दर्शाया गया है। संवैधानिक वैधता के मामले में विधानमंडलीय कार्य को चुनौती दी जा सकती है।

अधीनस्थ न्यायालय

संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालयों को कार्यकारिणी से स्वतत्र रखने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई–

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

राज्य में जिला जजों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति पर राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श किया जाता है। जिस व्यक्ति को जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है उसकी निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए।

- उसे केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए।
- उसे वकील होना चाहिए या सात वर्ष का समान अनुभव।
- उसका अनुमोदन उच्च न्यायालय द्वारा होना चाहिए।

अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

राज्य न्यायिक सेवा में किसी व्यक्ति की नियुक्ति (जिला न्यायाधीशों के अलावा) हेतु राज्यपाल उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग का परामर्श लेता है।

अधीनस्थ अदालतों पर नियंत्रण

जिला अदालतों एवं अधीनस्थ अदालतो पर नियंत्रण जिनमें स्थानांतरण, पदोन्नति और राज्य न्यायिक सेवा से जुड़े व्यक्ति के अवकाश आदि मामले उच्च न्यायालय के अधीन रहते हैं। यह नियंत्रण अधीनस्थ न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है।

उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र एवं नाम

	uke	LFkkiuk dk o"kZ	U;kf; d {ks=k	[k.MihB
1.	इलाहाबाद	1866	उत्तर प्रदेश	हलाहाबाद (लखनऊ में बेंच)
2.	आंध्र प्रदेश	1954	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
3.	बंबई	1862	महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली	मुंबई (नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में खंडपीठ)
4.	कलकत्ता	1862	पश्चिम बंगाल एवं अंडमान	कोलकाता (पोर्ट ब्लेयर में भ्रमणकारी

			और निकोबार द्वीप समूह	खंडपीठ)
5.	छत्तीसगढ़	2000	छत्तीसगढ़	बिलासपुर
6.	दिल्ली	1966	दिल्ली	दिल्ली
7.	गुवाहाटी	1948	असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश	गुवाहाटी (कोहिमा, आईजॉल, इम्फाल, शिलांग और अगरतला में खंडपीठ)
8.	गुजरात	1960	गुजरात	अहमदाबाद
9.	हिमाचल प्रदेश	1971	हिमाचल प्रदेश	शिमला
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1928	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर और जम्मू
11.	झारखंड	2000	झारखंड	रांची
12.	कर्नाटक	1884	कर्नाटक	बंगलौर
13.	केरल	1958	केरल और लक्षद्वीप	अर्नाकुलम
14.	मध्यप्रदेश	1956	मध्यप्रदेश	जबलपुर (इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ
15.	मद्रास	1862	तमिलनाडु और पांडिचेरी	चेन्नई
16.	उड़ीसा	1948	उड़ीसा	कटक
17.	पटना	1916	बिहार	पटना
18.	पंजाब और हरियाणा	1875	पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़	चंडीगढ़
19.	राजस्थान	1949	राजस्थान	जोधपुर (जयपुर में खंडपीठ)
20.	सिक्किम	1975	सिक्किम	गंगटोक
21.	उत्तराखण्ड	2000	उत्तराखण्ड	नैतीताल

EduBull.com